



बीज आलू उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया



राजकुमार सिंह, शंभु कुमार एवं सरला यादव

“बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य फसलों के नोटिफाईड प्रजातियों के बीजों को उनकी अनुवांशिक शुद्धता एवं पहचान का संधारण करते हुए इस प्रकार गुणित कराकर प्रसार करना होता है कि उच्च गुणवतायुक्त बीज कृषकों तक उपलब्ध हो सके। यूँ तो बीज प्रमाणीकरण हमारे देश में स्वैच्छिक है परंतु प्रमाणित बीज उत्पादन दोनों पक्षों (उत्पादक एवं उपभोक्ता) में आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सहायक होता है तथा बीज गुणवता एवं लाभ की एक सीमा तक गारण्टी भी प्रदान करता है।”

क्या है बीज प्रमाणीकरण ?

बीज प्रमाणीकरण एक कानूनी स्वीकृत प्रणाली है जो बीज के उत्पादन से लेकर संसाधन, बोराबंदी तथा टैगिंग तक का कार्य अपने देखरेख में इस प्रकार संचालित करती है कि बीज की गुणवता अक्षुण्ण बनी रहे। बिहार राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का पंजीयन 29 मार्च 1979 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के सेक्शन 21 के अर्न्तगत की गई। यह एक स्वायत्त संस्था होती है जिसका दायित्व भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक को लागू करके फसल के बीजों की गुणवता को बनाये रखना होता है।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक बीज उत्पादक फसल बुआई से पूर्व अथवा एक सप्ताह के अन्दर बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणन भवन, मीठापुर कृषि फार्म, पटना-800001 कार्यालय से अथवा इसके संभागीय कार्यालय (सुविधानुसार) से संपर्क कर निबंधन करा लें। प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है। आगे कि कार्यवाही हेतु बीज प्रमाणीकरण कार्यालय से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। संस्था के वेबसाइट www.bssca.co.in से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आनलाइन भी निबंधन की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकती है।

शुल्क का विवरण

- 1 निबंधन शुल्क— ₹50/- प्रति फसल
- 2 फसल निरीक्षण शुल्क— ₹400/- प्रति हैक्टर
- 3 बीज नमूना जाँच शुल्क— ₹40/- प्रति नमूना
- 4 टैग शुल्क— ₹4/- प्रति टैग
- 5 आलू की ग्रेडिंग— ₹5/- प्रति क्विंटल

बीज स्रोत

गुणवतायुक्त बीज उत्पादन के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि बीज किसी विश्वसनीय स्रोत से कय किया गया हो।

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, सहायनगर, पटना (बिहार)

स्वस्थ रोगरहित आलू बीज अच्छी पैदावार के लिए परमावश्यक है। अतः आलू बीज किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदा जाना चाहिए जैसे— केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, कृषि उद्यानिकी विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय आदि।

बीज की श्रेणियाँ

प्रजनक बीज

यह बीज अधिकृत प्रजनक की सीधी देखरेख में तैयार किया जाता है। यह आधार बीज उत्पादन का मूल स्रोत है। इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग का लेबल लगा होता है।

आधार बीज

यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रमाणित किया जाता है। आधार बीज की थैलियों पर सफेद रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है। आलू में प्रजनक बीज से आधार बीज-1 पैदा किया जाता है तथा इस आधार बीज-1 से आधार बीज-2 पैदा होता है। आधार बीज-2 से प्रमाणित बीज पैदा किया जाता है।

प्रमाणित बीज

यह बीज आधार बीज-2 की संतति होती है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित

मानक के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का टैग लगा होता है।

प्रक्षेत्र निरीक्षण

बीज उत्पादक को प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्वीकृति दिये जाने के पश्चात संस्था के प्रतिनिधि आलू बीज प्रक्षेत्र का चार बार निरीक्षण करते हैं। प्रथम निरीक्षण बुआई के 30 दिन बाद (बीज का श्रोत, पृथक्करण दूरी, ससमय बुआई आदि की जानकारी हेतु), दूसरा 60-65 दिन बाद (आफ टाईप पौधे, बीमार पौधे, प्रजाति समिश्रण आदि के आँकड़ों हेतु), तीसरा आलू के लत्तर कटाई के तुरन्त बाद (लत्तर की पूर्ण कटाई सुनिश्चित करने के लिए) तथा चौथा लत्तर कटाई के 10 दिन बाद (लत्तरों की पुर्नवृद्धि नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए)। इन निरीक्षणों के पहले बीज खेत की रोगिंग संस्था के प्रतिनिधि के निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि निरीक्षण के समय अगर फसल निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो यह बीज फसल प्रमाणीकरण के अयोग्य करार दिया जाता है।

रोगिंग

बीज फसल में लगातार रोगिंग करते रहना



बीज आलू की फसल

तकनिकी

चाहिए। रोगिंग के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अवांछित पौधे, अन्य प्रजाति के पौधे तथा बीमार पौधों को निकाल देना चाहिए। आलू की बीज फसल में कम से कम तीन रोगिंग करना चाहिए। इसमें विशाणुग्रसित पौधों तथा अन्य प्रजाति के पौधों को कन्द सहित निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। पहली रोगिंग गुड़ाई से पहले (बुआई के 22 से 25 दिन बाद), दूसरी रोगिंग बुआई के 50 से 55 दिन बाद, तीसरी रोगिंग पत्ते उखाड़ने के पहले करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक निरीक्षण पत्ते उखाड़ने के बाद पुनर्वृद्धि को रोकने के लिए कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर पुनर्वृद्धि होती है तो ऐसे में फसल से पलायन किये हुए माहू इन पर शरण लेंगे तथा फसल में बीमारी फैलायेंगे।

प्रक्षेत्र एवं बीज मानक

यह वे निर्धारित मानक हैं जिन्हें बीज प्रमाणीकरण के समय बीज फसल को पूर्ण करनी पड़ती है। इनको पूर्ण नहीं करने के स्थिति में बीज फसल निरस्त कर दिया जाता है तथा बीज का प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाता है।

पृथक्करण दूरी

यह बीज प्रक्षेत्र तथा संदूषक के बीच अपनाई जाने वाली न्यूनतम दूरी होती है ताकि संदूषक बीज फसल को दूषित नहीं कर सके। आलू में सभी श्रेणी के बीज उत्पादन के लिए 5 मीटर पृथक्करण दूरी दूसरी प्रजाति के प्रक्षेत्र से तथा समान प्रजाति जो प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित प्रजाति शुद्धता के मानक को पूर्ण नहीं करती हो के प्रक्षेत्र से बीज फसल के बीज में रखा

फसल की शुद्धता एवं बीमारी के लिए अनुमेय सीमा:

बीज श्रेणी	अवांछित पौधे (आफ टाइप)	बीमार पौधों का प्रतिशत				
		मृदु मोजैक	गंभीर मोजैक, पत्ती मोड़क एवं येलोज	कुल विषाणु	भूरा गलन प्रभावित पौधे	पुनर्वृद्धि
आधारीय बीज-1	0.05	1.00	0.50	1.0	0.00	0.50
आधारीय बीज-2	0.05	2.00	0.75	2.0	0.00	0.50
प्रमाणित बीज	0.10	3.00	1.00	3.0	3 पौधे/हैक्टर	0.50

बीज की शुद्धता एवं बीमारी के लिए अनुमेय सीमा:

बीज श्रेणी	बीमार पौधों का प्रतिशत					
	कॉमन स्कैब	ब्लैक स्कर्फ	कट	पिछेता झुलसा	मृदु गलन	कुल बीमारीयाँ
आधारीय बीज-1	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	5.00
आधारीय बीज-2	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	5.00
प्रमाणित बीज	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	5.00

बीज आकार मानक

बीज श्रेणी	आकार (मिलीमीटर में)	(वजन ग्राम में)
बीज आलू	30-55	25-125
बड़ा आलू	55 से ज्यादा	125 से ज्यादा

जाना चाहिए।

बीज आलू की ग्रेडिंग, उपचार, बोरबंदी तथा टैगिंग का कार्य संस्था के प्रतिनिधि के देखरेख में संपन्न होता है। टैग लगने के बाद प्रमाणित बीज बिक्री के लिए तैयार होता है।

ऊपर वर्णित मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा सीड प्लॉट टेक्नीक को अपनाते हुए कृषक बंधु आलू का गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। बीज प्रमाणीकरण प्रतिनिधि के निर्देशों का सही तरीके से व ससमय पालन करना बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में काफी सहायक होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि बीज उत्पादन में प्रारंभ से ही बीज प्रमाणीकरण प्रतिनिधि के संपर्क में बने रहे ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रहे।

निष्कर्ष

बीज प्रमाणीकरण में बीज उत्पादक को थोड़ी ज्यादा मेहनत व लागत लगानी पड़ती है जैसे कि फसल का निबंधन कराना, प्रमाणन हेतु रोगिंग कराना आदि अतिरिक्त कार्य। बावजूद इसके प्रमाणित बीज होने के कारण इसे किसान बंधु अच्छे एवं उच्च कीमत पर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। परेशानी केवल उन स्थानों पर आती है जहाँ के कृषक अभी भी आलू की खेती में बीज के महत्व को नहीं समझ पाएँ हैं अथवा बीज उत्पादन कार्यक्रम अभी-अभी प्रारंभ किया गया है। ऐसी दशा से निपटने में थोड़ा संयम रखना तथा अपने उत्पाद का प्रचार एवं प्रसार करना आवश्यक होता है।



आलू के रोगग्रसित पौधे